



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 19300 वर्ष 2025

विनय कुमार श्रीवास्तव

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 5 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : तेजस सिंह

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार,

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री तेजस सिंह तथा राज्य की ओर से विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री गौरव सिंह को सुना गया।
2. याचिकाकर्ता का प्रकरण यह है कि उसे दिनांक 27.07.1988 को वर्ग-चतुर्थ कर्मचारी के पद पर नियुक्त किया गया तथा उसके पश्चात 22.06.1989 से ड्रेसर के पद पर तैनात किया गया। उसे 22.06.2003 को पदोन्नति दी गई तथा अन्य लाभों के साथ तीसरी अग्रिम सेवा सुविधा भी प्रदान की गई। याचिकाकर्ता की सेवा समाप्त कर दी गई, अतः याचिकाकर्ता ने रिट-ए संख्या 11586 वर्ष 1995, श्री विनय कुमार श्रीवास्तव बनाम निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निदेशालय एवं अन्य में याचिका प्रस्तुत की, जिसमें दिनांक 10.09.2013 को निम्न आदेश पारित किए गए:-

"याचिकाकर्ता ने अपनी सेवा समाप्ति के आदेश दिनांक 18.04.1995, जो कि एकमात्र प्रत्यर्थी संख्या 1/निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, श्रम चिकित्सा सेवाएँ, उत्तर प्रदेश, कानपुर द्वारा पारित किया गया था, के विरुद्ध यह रिट याचिका प्रस्तुत की है।

याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री रंजीत सक्सेना तथा विद्वान स्थायी अधिवक्ता को सुना गया। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने न्यायालय का ध्यान दिनांक 18.04.1995 के आक्षेपित आदेश

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



की ओर आकृष्ट किया, जिसके तहत 27 वर्ग-चतुर्थ कर्मचारियों की सेवाएँ समाप्त की गईं। याचिकाकर्ता का नाम वर्ग-चतुर्थ कर्मचारियों की सूची में क्रमांक 1 पर अंकित है। यह वही आक्षेपित आदेश था, जो कई रिट याचिकाओं का विषय रहा। प्रमुख याचिका रिट-ए संख्या 12345 वर्ष 1995 (हरी शंकर एवं अन्य बनाम निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, श्रम चिकित्सा सेवाएँ, उत्तर प्रदेश, कानपुर) थी। उक्त रिट याचिका दिनांक 01.03.2004 को निम्नलिखित शर्तों पर स्वीकृत की गई:-

"प्रत्यर्थिगण ने अपने प्रत्युत्तर हलफनामे में याचिकाकर्ताओं को किसी भी प्रकार का सूचना या सुनवाई का अवसर प्रदान किए जाने के संबंध में एक शब्द भी नहीं कहा है। अभिलेख पर ऐसा कोई तथ्य नहीं है जो प्रत्यर्थियों या आक्षेपित आदेश के पक्ष में समर्थन करता हो। कोई विशिष्ट सेवा नियम प्रस्तुत न कर पाने की स्थिति में, जो उचित नियुक्ति प्राधिकारी को परिभाषित करता हो, जैसा कि प्रत्यर्थियों ने प्रत्युत्तर हलफनामे में कहा, यह तर्क स्वीकार्य नहीं है कि नियुक्ति पत्र उस प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया जिसने इसके लिए अधिकार नहीं था। अतः रिट याचिका को स्वीकार किया जाना चाहिए।

वर्तमान रिट याचिका में, याचिकाकर्ता अंतरिम आदेश दिनांक 10 मई, 1995 के आधार पर सेवा में बने हुए हैं, अतः उन्हें लगातार सेवा में माना जाएगा और नियुक्तियों के अनुसार सभी प्राप्त लाभों के हकदार हैं। प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा पारित दिनांक 26.04.1995 का आक्षेपित आदेश रद्द किया जाता है और रिट याचिका स्वीकार की जाती है। लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा।"

उक्त निर्णय का पालन इस न्यायालय द्वारा रिट-ए संख्या 11777 वर्ष 1995 (श्री राम बच्चन मोर्य बनाम निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निदेशालय एवं अन्य) में भी किया गया।

अंतरिम आदेश दिनांक 02.05.1995 के अनुसार यह कहा गया कि याचिकाकर्ता सेवा में बने हुए हैं।

मामले के तथ्य और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, सिविल विविध रिट याचिका संख्या 12345 वर्ष 1995 (हरी शंकर एवं अन्य बनाम निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, श्रम चिकित्सा सेवाएँ, उत्तर प्रदेश, कानपुर) में इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश को वर्तमान रिट याचिका पर भी लागू किया जाएगा।

अतः रिट याचिका सफल होती है और उसी शर्तों पर स्वीकार की जाती है।"

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



3. याचिकाकर्ता के अनुसार, उन्हें सेवा में पुनः नियुक्त किया गया था, तथापि हाल ही में दिनांक 29.05.2025 को उन्हें कारण बताओ सूचना जारी किया गया, जिसका याचिकाकर्ता ने दिनांक 30.06.2025 को उत्तर दिया।
4. वर्तमान रिट याचिका में याचिकाकर्ता के लिए स्वीकृत सेवा लाभ प्रदान करने का निर्देश माँगा गया है।
5. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने बताया कि प्रत्यर्थियों द्वारा दिनांक 24.06.2022 को सेवा लाभ प्रदान करने का आदेश पारित किया गया है।
6. दूसरी ओर, विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने कहा कि याचिकाकर्ता के दावे की प्रारंभिक जाँच प्रत्यर्थी संख्या 4 द्वारा की जानी चाहिए।
7. बार के समक्ष प्रस्तुत निवेदनों को ध्यान में रखते हुए, रिट याचिका निस्तारित की जाती है तथा याचिकाकर्ता को निर्देश दिया जाता है कि वह एक समग्र प्रत्यावेदन, रिट याचिका की स्वप्रमाणित प्रति एवं आदेश की प्रमाणित प्रति सहित प्रत्यर्थी संख्या 4 के समक्ष प्रस्तुत करे, जो उक्त प्रस्तुति प्राप्त होने की तिथि से दो माह की अवधि में विधि के अनुसार याचिकाकर्ता के दावे पर विचार करेगा।

19 जनवरी, 2026

एन. एस. राठौर

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।